

पत्रावली पेश हुई। मैत्रलाभिक कर्मचारी
हउताल पर होने के कारण भाभिक काम
नहीं डिमागमा। पत्रावली पूरा हुआ
दि 31/7/23 को पेश हो।

31/7/23

वकील साहब उपाय पत्रावली के
इंतजार करके दिनांक 31/7/23 को
पेश हो।

31/8/23

पत्रावली वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रापत्र
पर मूल दावा के साथ पत्रावली की तलव
की गई। मूल दावा में वादी के अधिवक्ता
द्वारा Net Process में दावा खारिज किए
जाते का विवेक किया है। मूल दावा
की शोशनी में प्रापत्र 212 RMA खारिज
किया जाता है। पत्रावली के सल सुमा
होकर मूल दावा के साथ संलग्न रहे।

दि. अ. 31/8/23



उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)